न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 78/2019 **दायरा दिनांक : 07.10.2019**

उनवान

1— कैलाश चन्द पुत्र प्रेमराज दत्तक पुत्र बुद्धाराम, जाति जाटव (यादव) निवासी झालावाड़ रोड़ खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— पृथ्वीराज पुत्र प्रेमराज, जाति जाटव (यादव) निवासी झालावाड़ रोड़ खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती बसन्ती बाई पुत्री प्रेमराज पत्नी ओम प्रकाश जी निर्मल, जाति जाटव (यादव) निवासी मकान नम्बर सी 23 नाखोड़ा कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2— श्रीमती उर्मिला बाई पुत्री प्रेमराज पत्नी अशोक कुमार, जाति जाटव (यादव) निवासी मोहल्ला यादव मोहल्ला, रामगंजमण्डी, जिला बारां

3— श्रीमती सुमनलता पुत्री प्रेमराज पत्नी शंकरकलाल, जाति (यादव) निवासी आजाद नगर भीलवाडा

4— सावित्री बेवा स्वर्गीय पुत्र प्रेमराज, जाति जाटव (यादव) निवासी झालावाड़ रोड़ खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— प्रभू लाल पुत्र देव लाल, जाति जाटव (यादव) निवासी झालावाड़ रोड़ खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 780/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19..09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 वादीगण का वाद विवादित आराजी ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर की खाता संख्या 398 रकबा 6 किता की 21 बीघा 9 बिस्वा एवं खाता संख्या 399 की खसरा नम्बर 1171 रकबा 2 बिस्वा आराजी के मामले में वादीगण का वाद कानूनी प्राावधानों के विपरीत डिक्री कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेंट/वादी का वाद डिक्री कर दिया, जबकि वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपनी स्वयं की साक्ष्य तक भी पेश नहीं की और न ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आर्डर 18 नियम 3 के प्रावधानों के तहत साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया गया । रेस्पोडेंट वादीगण वैधानिक रूप से खातेदार नहीं है, परन्तु एक तरफा कार्यवाही किये जाने से अपना जवाब व काउंटर क्लेम पेश करने से भी वंचित

हो गये हैं । कानूनी प्रावधानों के तहत इस समय धारा 184 के प्रावधानों के तहत बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट नहीं मंगवायी जा सकती है, मौके पर फसल खड़ी हुई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव बाबत तहसीलदार को आदेश पारित कर दिया है, जो अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2019 निरस्त की जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट का जवाबदावा लेकर नियमानुसार सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर व दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण करें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानों की पालना कर निर्णय पारित किया है, अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ हो । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा